UPJB010057652022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा

पीठासीन अधिकारी–विवेक (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{JOCODE–UP2012}

सत्र वाद संख्या–808/2022

उत्तर प्रदेश राज्य.....**अभियोगी।**

।। बनाम ।।

ब्रजपाल उर्फ बिरजू आयु करीब 50 वर्ष पुत्र गंगासरन, निवासी हाईवे रोनक फैक्ट्री के सामने गजरौला, थाना गजरौला, जिला अमरोहा।

.....**अभियुक्त।**

परिवाद संख्या–03/2021
धारा–307, 323 व 504 भा0 दं0 सं0
थाना–गजरौला, जिला अमरोहा।

घटना का दिनांक	23.09.2016
परिवाद योजित करने का दिनांक	04.04.2017
अभियुक्त की तलबी का दिनांक	23.11.2017
सुपुर्दगी का दिनांक	23.09.2022
आरोप विरचित किये जाने का दिनांक	27.10.2022
बहस पूर्ण होने का दिनांक	02.06.2026
निर्णय का दिनांक	11.06.2026

राज्य की ओर से– **श्री महावीर सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता(फौज 0)**

अभियुक्त की ओर से– **श्री मोहन सिंह, एडवोकेट ।**

।। निर्णय ।।

उपरोक्त सत्र वाद में अभियुक्त **ब्रजपाल उर्फ बिरजू** का विचारण, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, अमरोहा द्वारा पारित अभियुक्त के तलबी आदेश दिनांकित 23.11.2017 के आधार पर धारा 307, 323 व 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों के लिए इस न्यायालय द्वारा किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि परिवादी बलजिन्दर सिंह पुत्र श्री गुरूदेव सिंह के द्वारा एक परिवाद पत्र **(प्रदर्श क–2)** दिनांक 04.04.2017 को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, अमरोहा में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि उसका लड़का रूपेन्द्र सिंह दिनांक 23.09.2016 को समय करीब 5:30 बजे घर से मुर्गे का मीट लेकर रोनक फैक्ट्री के सामने ब्रजपाल उर्फ बिरजू पुत्र गंगासरन ढाबे पर पहुंचा और मीट बनाने को देकर आ गया था। लगभग दो घंटे बाद 7:30 बजे पुनः ढाबे पर पहुंचा

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.06.11 15:11:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

व बना हुआ मीट देने को कहा, तब ब्रजपाल ने कहा कि तेरा मीट खराब हो गया। उसके पुत्र ने कहा कि खराब मीट ही दे दो, तो रूपेन्द्र को गालियां देनी शुरू कर दी। रूपेन्द्र ने गालियां देने से मना किया, तो ब्रजपाल उर्फ बिरजू, उसके लड़के महेन्द्र, महेश व उसके पिता गंगासरन चारों ने मारना–पीटना शुरू कर दिया। परिवादी का लड़का जान बचाकर घर को भाग आया और पूरी बात बतायी। परिवादी अपनी पत्नी रजविन्द्र कौर, रूपेन्द्र व देवेन्द्र की पत्नी सिमरन कौर को साथ लेकर समय 9:15 बजे शाम शिकायत करने थाने जा रहे थे कि जैसे ही चारों लोग सेन्टमेरी स्कूल के गेट के सामने जल रही लाईट के पास पहुंचे, तो ब्रजपाल उर्फ बिरजू, महेन्द्र, महेश व गंगासरन ने उन्हें देखते ही गन्दी–गन्दी गालियां देना शुरू कर दिया। परिवादी ने ब्रजपाल उर्फ बिरजू के पिता गंगासरन से कहा कि तेरे लड़कों ने उसके लड़के को क्यों पीटा और मीट भी नहीं दिया। इस पर गंगासरन ने गालियां बकते हुये कहा कि उसने बदमाशी नहीं छोड़ी है, वह उसके लड़के का खून पी जायेगा। परिवादी ने गालियां देने से मना किया, तो गंगासरन के कहने पर चारों ने उन पर लाठी–डण्डों व सरियों से हमला कर दिया व रूपेन्द्र की कोली भर ली तथा अपने हाथ में लिये तमंचे से ब्रजपाल ने जान से मारने की नीयत से रूपेन्द्र के तमंचा सटाकर गोली मार दी, जो उसके जननांग को चीरती हुई चली गयी। उनके शोर पर चारों लोग जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। परिवादी अपने लड़के रूपेन्द्र को लेकर थाने गया, तो थाने वालों ने पहले इलाज कराकर रिपोर्ट लिखाने आने को कहा। वह अपने लड़के को लेकर दिल्ली के लिए चला, तो रास्ते में हालत नाजुक होने पर हापुड़ ट्रामा सेन्टर में भर्ती कराया। अगले दिन सुबह परिवादी रिपोर्ट लिखाने थाने गया, तो थाने वालों ने रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दिया और कहा कि तेरे लड़के ने होटल वाले से झगड़ा किया है, वे उसकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। परिवादी ने एक प्रार्थनापत्र पुलिस अधीक्षक, अमरोहा को दिया, तब उक्त अभियुक्तगण परिवादी पर फैसला करने का दबाव बनाने लगे, इसलिए परिवादी को परिवाद प्रस्तुत करने में देरी हुई।

3– विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, अमरोहा के द्वारा परिवाद में परिवादी का साक्ष्य अंतर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं गवाहान रजविन्दर कौर , देवेन्द्र सिंह, सिमरन कौर, पिन्दर उर्फ रूपिन्दर व डॉ0 जे.एस. खान के बयान अंतर्गत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के परिशीलन के उपरान्त विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित 23.11.2017 के द्वारा अभियुक्त ब्रजपाल उर्फ बिरजू को धारा 307, 323 व 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्तगण महेन्द्र व गंगा सरन को धारा 323 व 504 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में विचारण हेतु तलब किया गया है।

4– अभियुक्त गंगा सरन की मृत्यु दौरान वाद होने के कारण उसके विरूद्ध मामले की कार्यवाही विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश दिनांकित 10.07.2018 के द्वारा उपशमित की जा चुकी है तथा अभियुक्त महेन्द्र के लगातार न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांकित 16.09.2022 के द्वारा उसकी पत्रावली पृथक की गयी। अभियुक्त ब्रजपाल उर्फ बिरजू के सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने पर उसे अभियोजन दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान की गयीं। अभियुक्त ब्रजपाल का प्रकरण आदेश दिनांकित 23.09.2022 के द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया है।

5– सत्र न्यायालय में अभियुक्त उपस्थित आया तथा न्यायालय के आदेश दिनांकित 27.10.2022 के द्वारा अभियुक्त ब्रजपाल उर्फ बिरजू के विरूद्ध धारा 307, 323 व 504 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप विरचित किये गये तथा उसे उक्त आरोप पढ़कर सुनाये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में मामले के समर्थन में **निम्नलिखित साक्षीगण** प्रस्तुत किये गये:–

01	बलजिन्दर सिंह	वादी मुकदमा	पी.डब्ल्यू.1
02	रूपेन्द्र उर्फ पिन्दर	चोटिल	पी.डब्ल्यू.2
03	श्रीमती रजविन्दर कौर	तथ्य की गवाह	पी.डब्ल्यू.3

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को साबित करने के लिए प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित प्रलेख साबित कराये गयेः–

क्र.सं.	प्रलेखों का विवरण	साबित करने वाला साक्षी	प्रदर्श संख्या
01	एस.पी. अमरोहा को प्रेषित पत्र	पी.डब्ल्यू.1	प्रदर्श–क 01
02	परिवादपत्र	पी.डब्ल्यू.1	प्रदर्श–क 02
03	रूपेन्द्र उर्फ पिन्दर की चिकित्सीय परीक्षण आख्या	–	प्रदर्श–क 03

8– अभियुक्त ब्रजपाल उर्फ बिरजू का बयान **धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अंतर्गत दिनांक 25.05.2026 को दर्ज किया गया। अभियुक्त द्वारा कहा गया कि अभियोजन कथानक गलत है। पी.डब्ल्यू.1 वादी बलजिन्दर सिंह ने गलत साक्ष्य दिया है। पी.डब्ल्यू.2 चोटिल रूपेन्द्र उर्फ पिन्दर द्वारा घटना वाले दिन मुर्गा बनाने के लिए देकर आने एवं एक घंटे बाद वापस आने पर मुर्गा खराब होने को लेकर कहासुनी के तथ्यों को गलत बताया है। पी.डब्ल्यू.3 रजविन्दर कौर के साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। अतिरिक्त रूप से कहा है कि उसके विरूद्ध गलत मुकदमा चला है।

बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया गया है।

9– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

10– वर्तमान प्रकरण में अभियोजन को यह साबित करना है कि क्या दिनांक 23.09.2016 को समय 09:15 बजे शाम स्थान हाईवे रोनक फैक्ट्री के सामने व सेन्टमेरी स्कूल के गेट के पास गजरौला, पुलिस थाना गजरौला, जिला अमरोहा में अभियुक्त ब्रजपाल उर्फ बिरजू ने परिवादी बलजिन्दर सिंह के पुत्र रूपेन्द्र को जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर गंभीर उपहति कारित की तथा परिवादी व उसके पुत्र के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की व गन्दी–गन्दी गालियां देकर लोकशान्ति भंग करने के लिए प्रकोपित किया ?

11– मामले में अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू.1 बलजिन्दर सिंह** को प्रस्तुत किया गया है। यह साक्षी वादी मुकदमा है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना अब से करीब सवा नौ साल पहले की है। उस समय करीब 5:30 बजे के आसपास उसका लड़का रूपेन्द्र सिंह रोनक फैक्ट्री के सामने ब्रजपाल उर्फ बिरजू के ढाबे पर मुर्गे का मीट लेकर पहुंचा और मीट बनाने को कहा, तो ब्रजपाल ने कहा कि दो घंटे बाद आना व मीट अपने पास रख लिया। उसका बेटे ने दो घंटे बाद वहाँ पहुंचकर मीट देने को कहा, तो

बिरजू ने कहा कि तुम्हारा मीट खराब हो गया है, तब रूपेन्द्र ने कहा कि खराब मीट ही वापस दे दो। इस बात पर ब्रजपाल उर्फ बिरजू नाराज हो गया और गन्दी–गन्दी गालियां देने लगा। रूपेन्द्र ने गालियां देने से मना किया, तो ब्रजपाल उर्फ बिरजू, उसके लड़के महेन्द्र, महेश व उसके पिता गंगासरन ने रूपेन्द्र को पीटना शुरू कर दिया। रूपेन्द्र अपनी जान बचाकर भागकर घर आ गया तथा पूरी घटना इस साक्षी को बतायी। समय करीब नौ–सवा नौ बजे वह अपनी पत्नी रजविन्दर कौर, बेटे रूपेन्द्र, देवेन्द्र व रूपेन्द्र की पत्नी सिमरन को साथ लेकर शिकायत करने थाने जा रहे थे कि सेन्टमेरी स्कूल के गेट के सामने जल रही लाईट के पास खड़े मिले ब्रजपाल उर्फ बिरजू, महेन्द्र, महेश, गंगासरन उन्हें गन्दी–गन्दी गालियां देने लगे। गाली देने से मना किया, तो गंगासरन के यह कहने पर कि मारो सालो को, उनके ऊपर लाठी–डण्डों व सरिया से हमला कर दिया। ब्रजपाल ने उसके लड़के रूपेन्द्र को जान से मारने की नीयत से गोली मारी, जो उसके जननांग में लगी। उनके शोर मचाने पर चारों लोग जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। वह अपने लड़के को लेकर थाने गया, तो थाने वालों ने पहले इलाज कराने के लिए कहा। वह अपने लड़के को इलाज के लिए दिल्ली लेकर जा रहा था, लेकिन उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुये हापुड़ के अस्पताल में भर्ती कराया। वह दूसरे दिन थाने में एफ .आई.आर. कराने गया तो थाने वालों ने तहरीर लेने से मना कर दिया। उसने पुलिस अधीक्षक को टाईप कराकर प्रार्थनापत्र दिया, जिस पर अपने निशानी अंगूठे को प्रमाणित करते हुये **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है। उक्त प्रार्थनापत्र पर थाने से कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब उसने न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया, जिस पर अपने फोटो व निशानी अंगूठा को प्रमाणित करते हुये **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया है।

12– पी.डब्ल्यू.1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि ब्रजपाल के घर कभी नहीं गया और न ही कभी ब्रजपाल उसके घर आया। इस घटना से पहले उसकी ब्रजपाल उर्फ बिरजू से कोई रंजिश नहीं थी।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि होटल पर उसके लड़के एवं ब्रजपाल के बीच गाली–गलौंज व मारपीट उसके सामने नहीं हुई थी। उसने ब्रजपाल उर्फ बिरजू को अपने पुत्र पिन्दर उर्फ रूपेन्द्र के साथ मारपीट करते नहीं देखा। रात्रि का समय होने के कारण उसके पुत्र को गोली किसने मारी, वह उसे नहीं पहचान पाया था।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि घटना वाले दिन सुबह को उसके पुत्र व ब्रजपाल उर्फ बिरजू के बीच कुछ कहा–सुनी हो गयी थी, इसलिए उसने यह परिवाद दायर किया था। पिन्दर उर्फ रूपेन्द्र को ब्रजपाल उर्फ बिरजू ने गोली नहीं मारी थी और न ही ब्रजपाल ने उसे व उसके पुत्र पिन्दर को मारने की धमकी दी थी।

इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि वह रिपोर्ट लिखाने थाने नहीं गया था। दिनांक 23.09.2016 को समय करीब सवा नौ बजे ब्रजपाल उर्फ बिरजू उन्हें सेन्टमेरी स्कूल के गेट पर नहीं मिला था। यह कहना गलत है कि उसका अभियुक्त से समझौता हो जाने के कारण वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है।

13– पी.डब्ल्यू.1 के उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया है परन्तु प्रतिपरीक्षा में घटना वाले दिनांक 23.09.2016 की सायं 7:30 बजे अभियुक्त ब्रजपाल उर्फ बिरजू के होटल पर हुई घटना को अपने सामने होने से इंकार किया है। इस साक्षी के द्वारा ब्रजपाल उर्फ बिरजू को अपने

पुत्र पिन्दर उर्फ रूपेन्द्र के साथ मारपीट करते देखने, अभियुक्त द्वारा गाली–गलौंज करने तथा अपने पुत्र पिन्दर को गोली मारने के तथ्य से भी इंकार किया है।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि घटना वाले दिन सुबह को उसके पुत्र व ब्रजपाल उर्फ बिरजू के बीच कुछ कहा–सुनी हो गयी थी, इसलिए उसने ब्रजपाल के विरूद्ध यह परिवाद दायर किया था।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि पी.डब्ल्यू.1 बलजिन्दर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में तो अभियोजन कथानक का समर्थन किया है परन्तु प्रतिपरीक्षा में अभियोजन के सम्पूर्ण कथानक से इंकार किया है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

14– **पी.डब्ल्यू.2 रूपेन्द्र उर्फ पिन्दर,** जोकि घटना में चोटिल होने के कारण महत्वपूर्ण साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 23.09.2016 को समय करीब शाम 5–6 बजे वह रोनक फैक्ट्री के सामने बिरजू के होटल पर मुर्गा बनाने के लिए देकर आया था। ब्रजपाल उर्फ बिरजू ने कहा कि एक घंटे बाद ले जाना। वह लगभग एक घंटे बाद बिरजू के होटल पर पहुंचा और अपना मुर्गा मांगा, तो बिरजू ने कहा कि तुम्हारा मुर्गा खराब हो गया है, इसी बात पर उसकी बिरजू उर्फ ब्रजपाल से कहा–सुनी हो गयी। घर आकर यह घटना उसने अपने घर वालों को बतायी, तो उसके पिताजी बलजिन्दर सिंह, उसकी माँ व भाई तथा वह स्वयं बिरजू के होटल पर शिकायत करने के लिए जा रहे थे। जब वे लोग सेन्टमेरी स्कूल के पास पहुंचे, तो वहाँ पर कुछ दुकाने भी हैं, वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। उस भीड़ में कहासुनी व मारपीट हो रही थी, तभी भीड़ में से किसी ने फायर किया। वह फायर उसके जननांग पर लगा और वह बेहोश हो गया। उसके घर वाले उसे अस्पताल लेकर चले गये थे, जहाँ पर उसका इलाज चला था। उसका इलाज हापुड़ के अस्पताल में चला था। उसके ऊपर हाजिर अदालत बिरजू उर्फ ब्रजपाल ने गोली नहीं चलायी थी और न ही गाली–गलौंज, न ही मारपीट की थी व न ही जान से मारने की नीयत से गोली चलायी थी। उसके पिताजी ने लोगों के कहने में आकर परिवाद दायर किया था।

15– पी.डब्ल्यू.2 रूपेन्द्र उर्फ पिन्दर को अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के आग्रह पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में उसे धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाया गया, तो गवाह ने कहा कि उसने यह बयान लोगों के बहकावे में आकर दिया था। यह कहना गलत है कि उनके व मुल्जिम के बीच समझौता हो जाने के कारण अथवा किसी भय, लालच या दबाव में आकर न्यायालय के सामने सही बात नहीं बता रहा है।

न्यायालय की ओर से पूछे जाने पर इस साक्षी ने कहा है कि शपथ लेने के बाद झूठा बयान देना अपराध है और झूठा बयान देने के लिए किसी व्यक्ति को सजा हो सकती है।

अभियुक्त की ओर से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी। इस महत्वपूर्ण साक्षी के सम्पूर्ण साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य उभरकर नहीं आया है, जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त हो।

16– **पी.डब्ल्यू.3 श्रीमती रजविन्दर कौर** के साक्ष्य के अनुसार दिनांक 23.09.2016 को समय करीब 5:30 बजे शाम उसका लड़का पिन्दर उर्फ रूपेन्द्र सिंह मुर्गे का कच्चा मीट

लेकर रोनक फैक्ट्री के सामने बिरजू उर्फ ब्रजपाल के ढाबे पर बनवाने के लिए नहीं गया था और न ही बिरजू उर्फ ब्रजपाल व अन्य ने उसके लड़के रूपेन्द्र के साथ कोई गाली–गलौंज की थी, न ही जान से मारने की नीयत से फायर किया था।

17– पी.डब्ल्यू.3 श्रीमती रजविन्दर कौर को भी अभियोजन के आग्रह पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। इस साक्षिया ने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि यह कहना गलत है कि वह न्यायालय के समक्ष दबाव या लालच में आकर सही बात नहीं बता रही है।

इस साक्षिया के सम्पूर्ण साक्ष्य में भी ऐसा कोई तथ्य उभरकर नहीं आया है, जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल मिलता हो।

18– अभियोजन की ओर से मामले के तथ्य के साक्षी के रूप में किसी अन्य साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

19– पत्रावली पर चोटिल पिन्दर उर्फ रूपेन्द्र चिकित्सीय परीक्षण उपलब्ध है, जिसकी सत्यता बचाव पक्ष के द्वारा स्वीकार की गयी है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। प्रदर्श क–3 के अनुसार चोटिल का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 23.09.2016 की रात 11:50 बजे खान रिहान हॉस्पिटल एण्ड ट्रोमा सेन्टर, हापुड़ में डॉ0 जे. ए. खान के द्वारा किया गया था। प्रदर्श क–3 के अनुसार चोटिल पिन्दर उर्फ रूपेन्द्र के बाये अण्डकोष में व्यापक (Extensive) घाव था तथा उस साईड की गोली (Testicle) फटी हुई थी। घाव से रक्तस्राव हो रहा था। फोते के घाव व जांघ के अन्दरूनी भाग पर आग्नेयास्त्र पाउडर से जलने के निशान थे। सम्बन्धित चिकित्सक की राय में चोट घातक व चोट ताजा थी तथा किसी आग्नेयास्त्र से आना संभव थी।

मामले में चोटिल रूपेन्द्र उर्फ पिन्दर के दिनांक 23.09.2016 को चोटें कारित हुई हैं परन्तु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के सभी साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है कि घटना के समय अभियुक्त ब्रजपाल उर्फ बिरजू के द्वारा ही चोटिल व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया।

20– उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण से यह दर्शित होता है कि पी.डब्ल्यू.1 वादी मुकदमा बलजिन्दर सिंह के मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में परस्पर विरोधाभासी कथन होने के कारण उसका साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य नहीं है तथा उसके सम्पूर्ण साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य उभरकर नहीं आया है, जिससे अभियुक्त की घटना में संलिप्तता को कोई बल मिलता हो। तथ्य के अन्य साक्षी पी. डब्ल्यू.2 चोटिल रूपेन्द्र उर्फ पिन्दर व पी.डब्ल्यू.3 श्रीमती रजविन्दर कौर पक्षद्रोही हो गये हैं तथा इन साक्षीगण से अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य उभरकर नहीं आया है, जिससे अभियुक्त की कथित घटना में संलिप्तता प्रकट हो। अभियोजन की ओर से तथ्य के किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। मात्र चोटिल रूपेन्द्र उर्फ पिन्दर के चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त ब्रजपाल के विरूद्ध अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्त द्वारा अभिकथित घटना के दिनांक, समय व स्थान पर परिवादी के पुत्र रूपेन्द्र उर्फ पिन्दर को जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली मारकर गंभीर उपहति कारित करने, मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने तथा परिवादी व उसके पुत्र को गाली–गलौंज कर अपमानित करने के आरोप अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से साबित नहीं होते हैं।

21– उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन, अभियुक्त ब्रजपाल उर्फ बिरजू के विरूद्ध धारा 307, 323 व 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है। तदनुसार, अभियुक्त ब्रजपाल उर्फ बिरजू धारा–307, 323 व 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त ब्रजपाल उर्फ बिरजू को सत्र वाद संख्या–808/2022(परिवाद संख्या–03/2021) में **धारा 307, 323 व 504 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त का व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किया जाता है। जमानतदारों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त की ओर से धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रस्तुत किया गया व्यक्तिगत बन्धपत्र व जमानतनामें, आज निर्णय की तिथि से आगामी छः माह तक प्रभाव रहेंगे।

दिनांक–11.06.2026

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक–11.06.2026

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

टाईपकर्ता– आनन्द प्रकाश, आशुलिपिक